



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062020-219964
CG-DL-E-17062020-219964

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]
No. 12]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2020/ज्येष्ठ 27, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2020/JYAISTHA 27, 1942

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2020

आ.अ. 12(अ).—निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 24 के उप-नियम (2) के खंड (ड) के उपबंधों के अनुसार, आयोग ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि किसी भी निर्वाचक, जिसे आयोग के दिनांक 17.06.2020 के पत्र संख्या 318/रा.स.-मल्टी/द्विवा./2020 में अनुदेशों के अनुसार राज्य सभा के मौजूदा द्विवार्षिक निर्वाचनों हेतु रिटर्निंग अधिकारी द्वारा डाक मतपत्र जारी किया गया है और जो कोविड-19 की वजह से अस्पताल में भरती है, द्वारा प्रपत्र 13क में घोषणा के अनुप्रमाणन के प्रयोजनार्थ संबंधित निर्वाचक का उपचार करने वाला चिकित्सा अधिकारी उक्त घोषणा को अनुप्रमाणित करने हेतु प्राधिकारी होगा।

[सं. 318/ रा. स.-मल्टी/2020]

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th June, 2020

O.N. 12(E).—In terms of the provisions of clause (e) of sub-rule (2) of Rule 24 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the Commission has specified that for purpose of attestation of declaration in Form 13A by an elector who is hospitalized on account of COVID-19 and who has been issued with Postal Ballot Paper by the Returning Officer for the current biennial elections to the Council of States as per the instruction in Commission's letter No. 318/CS-Multi/BIEN/2020 dated 17.06.2020, the Medical Officer attending to the elector concerned shall be the authority to attest the said declaration.

[No. 318/CS-MULTI/2020]

By Order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.